

9/5/18 पञ्चवली पेश हुई। उमपपत उपस्थित। बतस
 सुने गई। पञ्चवली वस्ती अपेश केम न्याप आपके
 हारा इवली वस्ती मोलनी के फिनाक 3/5/18 को पेश है। (DL)

3.5.18

पञ्चवली पेश हुई। वादीगण का वाद- पञ्च
 मुलाबिक शचीगण डिक्ली किया जाता है
 विस्तृत निर्णय कलक एवं लिखित मुलाक
 गण। पञ्चवली क्षेत्र कदालत इतिहास
 केमप न्याय कोषके द्वारा इवली वस्ती
 मोलनी के कंठिक डिक्ली किया जाता है
 शचीगण निर्णय का पुन इहेगा।
 पञ्चवली के लया मुलाक होकर वास्तव
 दपुतर की जावे।
 (आदेश मुलाक गया।)

(DL)
 सहायक कलक्टर
 एवं उपखण्डाधिकारी
 हनुमानगढ़

न्यायालय
 जलास :- स
 कृष्ण लाल पु
 शानगराम पु
 योपतराम पु
 तोतराम पु
 गीहनुमान ग
 राजस्थान
 टेट ऑफ

थत :-
 श्री दे
 श्री र
 राज
 सं
 '32
 स
 मा
 रि
 9

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़
बईजलास :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

कृष्ण लाल पुत्र पुरखाराम जाति भाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---वादी

बनाम

1. चानणराम पुत्र पुरखाराम जाति भाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. श्योपतराम पुत्र पुरखाराम जाति भाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. जोतराम पुत्र पुरखाराम जाति भाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. श्रीहनुमान गौ सवर्धन केन्द्र मुण्डा जरिये अध्यक्ष औमप्रकाश देग पुत्र हंसराज देग जाति जाट राजस्थान गौ सेवा संघ मुण्डा निवासी मेहरावाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

---प्रतिवादीगण

वाद संख्या :- 411 सन् 2017
दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए


उपस्थित :-

1. श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता वादी
2. श्री राजेश रोकणा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 4
3. राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी सं. 5

निर्णय

दिनांक :- 3-5-18

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रश्नगत भूमि चक 9 एमडी खाता सं. 41/37 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 9, 11, 12, 19 ता 22 कुल 1.771 है० कमाण्ड व अनकमाण्ड तथा खाता सं. 42/38 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 1, 2, 10 कुल 0.696 है० कमाण्ड अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन भूमि सांझे खाते में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का घरेलू बंटवारा अरसा दराज से किया हुआ है जिसके मुताबिक चक 9 एमडी खाता सं. 42/38 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 1/0.0975 है०, 10/0.1265 है०, खाता सं. 41/37 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 11/0.0508 है० कुल 0.2748 है० भूमि वादी का कब्जा काश्त है, चक 9 एमडी खाता सं. 42/38 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 1/0.1075, 10/0.1265, खाता सं. 41/37 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 11/0.0508 है० कुल 0.2848 है० भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 चानणराम का कब्जा काश्त है, चक 9 एमडी के खाता सं. 42/38 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 2/0.1140, खाता सं. 41/37 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 9/0.1265, 12/0.0442 है० कुल 0.2847 है० भूमि पर प्रतिवादी सं. 2 श्योपतराम का कब्जा काश्त है, चक 9 एमडी खाता सं. 42/38 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 2/0.1140, खाता सं. 41/37 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 9/0.1265, 12/0.0442 है० कुल


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

0.2847 है0 भूमि पर प्रतिवादी सं. 3 जोतेराम का कब्जा काश्त है। प्रश्नगत भूमि चक 9 एमडी खाता सं. 42/38 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 1/0.010 है0 गैरमुमकिन उद्योगिक वादी के कब्जा काश्त में से कम होकर गैरमुमकिन उद्योगिक दर्ज हुई है जिस पर टावर स्थापित किया हुआ है तथा उस टावर के संबंध में जो भी किराया प्रतिफल मिलता है वादी के हक हिस्सा का है। इसलिये वादी ने अपने हिस्सा में से 0.010 है0 भूमि बंटवारा में कम प्राप्त की है तथा कब्जा काश्त में भी कम है। अतः वाद वादी डिक्री किया जावे कि वादपत्र के पैरा सं. 2(क) में वर्णित भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है तथा बाद घोषणा वादी का मुताबिक बाहमी बंटवारा वादपत्र के पैरा सं. 2(क) में वर्णित अनुसार प्रश्नगत भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त खाता व लगान अलग अलग कायम किया जावें।

वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 व वादी की ओर से दिनांक 08.01.2018 को स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 4 की ओर से ईकबालदावा प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी सं. 5 स्टेट की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

वादी की ओर से अपने वाद-पत्र के समर्थन में तहरीरी साक्ष्य के तौर पर जमाबंदी चक 9 एमडी खाता सं. 41/37 व चक 9 एमडी खाता सं. 42/38 प्रमाणित प्रतिलिपि पेश किये गये।

वाद-पत्र का कोई विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी व प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने दौराने बहस संयुक्त कथन किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादग्रस्त भूमि बाबत मुख्य अनुतोष खाता तकसीम का है तथा वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व वादी ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश कर दिया है तथा प्रतिवादी सं. 4 ने ईकबालदावा प्रस्तुत कर दिया है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा मुताबिक राजीनामा वाद-पत्र डिक्री करने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के नाम संयुक्त खाते में दर्ज है तथा वादपत्र में मुख्य अनुतोष खाता तकसीम का है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा वाद-पत्र डिक्री करने की सहमति दी है। वादी घरू विभाजन में मुताबिक राजीनामा वादग्रस्त आराजी प्राप्त कर रहा है जिसका कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आने से वादी का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश


अतः वादी का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि चक 9 एमडी खाता सं. 42/38 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 1/0.0975


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़



है, 10/0.1265 है, खाता सं. 41/37 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 11/0.0508 है कुल 0.2748 है भूमि का वादी कृष्ण लाल खातेदार काश्तकार है, चक 9 एमडी खाता सं. 42/38 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 1/0.1075, 10/0.1265, खाता सं. 41/37 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 11/0.0508 है कुल 0.2848 है भूमि का प्रतिवादी सं. 1 चानणराम खातेदार काश्तकार है, चक 9 एमडी के खाता सं. 42/38 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 2/0.1140, खाता सं. 41/37 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 9/0.1265, 12/0.0442 है कुल 0.2847 है भूमि का प्रतिवादी सं. 2 श्योपतराम खातेदार काश्तकार है, चक 9 एमडी खाता सं. 42/38 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 2/0.1140, खाता सं. 41/37 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 9/0.1265, 12/0.0442 है कुल 0.2847 है भूमि का प्रतिवादी सं. 3 जोतराम खातेदार काश्तकार है। उक्तानुसार ही खाते अलग अलग कायम किये जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तादाद २.००...../—रु० का स्टाम्प तकमीलन शामिल फाईल करवाया जाने पर उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। सत्यमेव जयते

यह आदेश आज आज दिनांक 3.5.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
 अधिकारी हनुमानगढ़
 एवं उपखण्डाधिकारी
 हनुमानगढ़

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़
बईजलास :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

कृष्ण लाल पुत्र पुरखाराम जाति भाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---वादी

बनाम

1. चानणराम पुत्र पुरखाराम जाति भाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. श्योपतराम पुत्र पुरखाराम जाति भाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. जोतराम पुत्र पुरखाराम जाति भाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. श्रीहनुमान गौ सवर्धन केन्द्र मुण्डा जरिये अध्यक्ष औमप्रकाश देग पुत्र हंसराज देग जाति जाट राजस्थान गौ सेवा संघ मुण्डा निवासी मेहरावाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

---प्रतिवादीगण

वाद संख्या 411 सन् 2017 निर्णय दिनांक 3.5.18.....

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए

डिक्री

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आरएएस समक्ष अभिभाषक वादी श्री देवीलाल भांभू तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 श्री राजेश रोकणा की उपस्थिति मे निर्णय के साथ निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर वादी का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि चक 9 एमडी खाता सं. 42/38 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 1/0.0975 है0, 10/0.1265 है0, खाता सं. 41/37 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 11/0.0508 है0 कुल 0.2748 है0 भूमि का वादी कृष्ण लाल खातेदार काश्तकार है, चक 9 एमडी खाता सं. 42/38 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 1/0.1075, 10/0.1265, खाता सं. 41/37 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 11/0.0508 है0 कुल 0.2848 है0 भूमि का प्रतिवादी सं. 1 चानणराम खातेदार काश्तकार है, चक 9 एमडी के खाता सं. 42/38 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 2/0.1140, खाता सं. 41/37 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 9/0.1265, 12/0.0442 है0 कुल 0.2847 है0 भूमि का प्रतिवादी सं. 2 श्योपतराम खातेदार काश्तकार है, चक 9 एमडी खाता सं. 42/38 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 2/0.1140, खाता सं. 41/37 प.न. 163/320 मु.न. 41 कि.न. 9/0.1265, 12/0.0442 है0 कुल 0.2847 है0 भूमि का प्रतिवादी सं. 3 जोतराम खातेदार काश्तकार है। उक्तानुसार ही खाते अलग अलग कायम किये जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। व्यय वाद उभय पक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेंगे।

आज दिनांक 3.5.18..... को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़